भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4974

जिसका उत्तर मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों हेतु उत्पाद शुल्क पर रियायत

4974. श्री पी. आर. सुन्दरम:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की पूरे देश के शारीरिक रूप से विकलांग ग्राहकों के लिए उत्पाद शुल्क की रियायती दर पर कार की आपूर्ति करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान रियायती दर पर कारों की आपूर्ति किए जाने वाले शारीरिक रूप से विकलांग ग्राहकों की तमिलनाडु सहित राज्य-वार कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): जी, हां। भारी उद्योग विभाग ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा कारों की खरीद पर उत्पाद शुल्क रियायत प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशा--निर्देश तैयार किए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदक को निम्नलिखित तीन दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक हैं:

i. विकलांग आवेदक निर्धारित प्रपत्र में किसी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

ii. विकलांग व्यक्ति कार विनिर्माता से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि एक कार उनके पास बुक की गई है और इस बात को जानते हुए कि विकलांगता दांये/बांये हाथ या दोनों पैरों अथवा हाथ-पैर दोनों में है, विकलांग व्यक्ति को सुपुर्द की जाने वाली कार में उस व्यक्ति की विकलांगता के प्रकार के आधार पर विशेष कंट्रोल डिवाइस या गैजेट जैसे कि ऑटो ट्रांसमिशन, ग्रिप असेंबली, एक्सीलरेटर पैडल्स, हैंड कंट्रोल आदि वाहन में विशिष्ट रूप से तैयार या लगा दिए गए हैं।

iii. आवेदक स्वयं यह प्रमाणित करे कि उसने पिछले पांच वर्षों में यह रियायत नहीं ली है और यह कि वह उत्पाद शुल्क रियायत सहित कार खरीदने के बाद पांच वर्षों की अवधि तक कार का निपटारा नहीं करेगा।

(ग): चालू वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग ग्राहकों, जिनको रियायती दर पर कारों की आपूर्ति की गई, की तमिलनाडु सहित राज्यवार कुल संख्या, **अनुबंध** में दी गई है।

*****

(लोक सभा प्रश्न सं.4974 दिनांक 23.12.2014 का अनुबंध)

शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे व्यक्तियों जिन्हें विगत तीन वर्षों [2011, 2012, 2013 और 2014 (12.12.2014 तक)] के दौरान उत्पाद शुल्क रियायत प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं-, की राज्यवार (केन्द्रशासित प्रदेशों सहित) सूची

क्रम सं.	**राज्य**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014 (12.12.2014 तक)**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप (के. शा. प्र.)				
2.	आंध्र प्रदेश	05	07	05	07
3.	अरूणाचल प्रदेश				
4.	असम				
5.	बिहार				
6.	चंडीगढ (के. शा. प्र.)		04	08	02
7.	छत्तीसगढ़				01
8.	दादरा और नगर हवेली (के. शा. प्र.)				
9.	दमन और दीव (के. शा. प्र.)				
10.	दिल्ली	20	11	07	08
11.	गोवा				
12.	गुजरात	04		02	
13.	हरियाणा	03	03	07	02
14.	हिमाचल प्रदेश	04		02	01
15.	जम्मू और कश्मीर	03	02		
16.	झारखण्ड				01
17.	कर्नाटक	03		02	08
18.	केरल	10	02	06	02
19.	लक्षद्वीप (के. शा. प्र.)				
20.	मध्य प्रदेश	03	02	02	03
21.	महाराष्ट्र	04	01	01	03
22.	मणिपुर				
23.	मेघालय				
24.	मिजोरम				
25.	नगालैण्ड				
26.	उड़ीसा	01			03
27.	पांडिचेरी (के. शा. प्र.)				
28.	पंजाब	04	02	03	
29.	राजस्थान	04	05	01	06
30.	सिक्किम				
31.	**तमिलनाडु**	**05**	**03**	**05**	**04**
32.	तेलंगाना				
33.	त्रिपुरा				
34.	उत्तराखण्ड		01		
35.	उत्तर प्रदेश	10	03	12	01
36.	पश्चिम बंगाल	01			
	कुल	84	46	63	52